

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1255]नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936No. 1255]NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुन, 2014

का.आ. 1511(अ). – केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ.1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)

#### तालिका

(1)	(2)	(3)
"23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [किमी 152.00 से किमी 218.200 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा से	उत्तराखंड
	हरिद्वार से नेपाली फार्म खंड) और किमी 228.00 से किमी 524.000 तक खंड को छोड़कर], सं.	राज्य
	72 [किमी 165.000 से किमी 196.825 (नेपाली फार्म - देहरादून खंड) तक खंड को छोड़कर],	सरकार"
	सं. 74 [किमी 175.000 से किमी 264.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को	
	छोड़कर], सं. 87 [सिमली से कर्णप्रयाग (7.00 किमी) और किमी 43.30 से किमी 88.00 (रामपुर	
	नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 107ए और नई राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 309ए के उतने भाग जो कि	
	उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/5/ 2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) के सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1044(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2014 दवारा संशोधित किया गया था ।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

**S.O. 1511(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

# 3

## TABLE

(1)	(2)	(3)
"23	So much of National Highways No. 58 [excluding from Km. 152.00 to Km. 218.200 (Uttar	State
	Pradesh/Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Farm section) and from km. 228.00 to	Government of
	Km. 524.000], No. 72 [excluding from Km. 165.000 to Km. 196.825 (Nepali Farm -	Uttrakhand."
	Dehradun Section)], No. 72A, No. 73, No. 74 [excluding from Km.175.000 to Km. 264.000	
	(Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No. 87 [excluding from Simli to Karna Prayag (7.00	
	Km) and from km. 43.30 to km. 88.00 (Rampur to Kathgodam) (Uttar Pradesh/Uttarakhand	
	Border)], No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No.	
	119, No. 121, No. 123, No. 125 (excluding the stretch from Tanakpur to Pithoragarh), new	
	National Highway No. 107A and new National Highway No. 309A as are situated within	
	the State of Uttrakhand.	

# [F. No. NH-14013/5/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Foot note: — The principal notification was published *vide* number S.O.1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044(E), dated the 7th April, 2014.